

31.07.23

Note pass  
Jaleel  
31/7/23

पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित।  
वकील पार्थी द्वारा नोट पेस कर पार्थीन  
पत्र खारिज करने का निर्देश किया गया।  
अतः पार्थी का पार्थीन पत्र नोट पेस के  
अध्यापक पर इसी स्तर पर खारिज किया  
जाता है। पत्रावली बाद तरीक लम्बीन होकर  
राखिल इफल हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
(अमिता मिश्रा)  
RoAoS